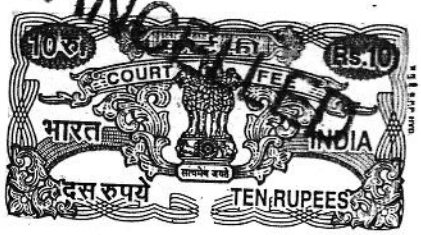

IN THE COURT OF Revenue Board circle ~~COMMISSIONER~~ JABALPUR DIVISION,

JABALPUR. R-3205-II/14

Revenue revision No.______ / 2014.

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ...
09 SEP 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

1332
407

दिनांक 11.9.14 ... प्रस्तुत 11/9/14

Applicant objector : Ajay Kumar Agarwal son of Laxmichand ~~Prasad~~ Agarwal, aged 55 years, caste Agarwal, resident of Khaira-Palari, Post Khaira, tahsil Keolari, district Seoni (M.P.)

versus.

Nonapplicants: 1- Dayalbabu aged about 44 years, son of Lalla Prasad caste Kirar, resident of gram Alonikhapa, Mal, Police station and tahsil Keolari, district ~~Jabalpur~~. Seoni (M.P.)

2- State of Madhya Pradesh, through collector, Seoni.

Revision petition under section 50 of the M.P. Land Revenue Code, 1959.

The applicant-being aggrieved with the order dated 20.08.2014 passed by Tahsildar, Keolari district Seoni passed in Revenue case No.2/A-6/13-between the parties Dayalbabu vs. State, the applicant /objector prefers this revision petition

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3205-दो/14 जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-12-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, केवलारी जिला सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ-6/13-14 में पारित आदेश दिनांक 20-8-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । जिसके द्वारा तहसीलदार ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को खारिज किया गया है । 2/ प्रकरण में आवेदक को 10 दिवस का समय सुनवाई दिनांक को लिखित बहस पेश करने के लिए दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । 3/ अनावेदक गण एकपक्षीय हैं । 4/ आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में रिकार्ड को देखा गया । यह प्रकरण नामांतरण के संबंध में है प्रकरण में आपत्तिकर्ता/आवेदक द्वारा यह आपत्ति ली गई कि उसने कर्जा लिया था और उस पर से विक्रयपत्र लिखा गया था उसने कर्ज वापिस कर दिया है लेकिन विक्रय पत्र को निरस्त नहीं किया गया है अतःउसे सुनकर नामांतरण प्रकरण का निराकरण किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर से यह पाया है कि रजिस्ट्री में ना इन बातों का कोई उल्लेख नहीं है और आपत्तिकर्ता यह सिद्ध नहीं कर पाया कि रहन पेटे विक्रय किया गया था और इस कारण उसकी आपत्ति को विचारण न्यायालय ने सुनने से इंकार किया है । विचारण न्यायालय का उक्त आदेश अभिलेख के अनुसार उचित और विधिसम्मत प्रतीत होता है । इस प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं है जिसके	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो । परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार न होनेसे यह निगरानी निरस्त की जाती है । 5/ उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । सदस्य	